[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं0 36/2018 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. ……….. (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 34/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 और जिसको सा. का. नि. 792(अ), तारीख 21 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.35/2018-केन्द्रीय कर, 21 **अगस्त**, 2018, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि,--

(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों;

(ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनके कारबार का मुख्य स्थान कर्नाटक राज्य के कुर्ग (कोडागु) जिले में है; और

(iii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनके कारबार का मुख्य स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माहे में है,

के लिए जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर 3ख** में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, क्रमश: 5 अक्तूबर, 2018 और 10 अक्तूबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी ।"।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 792(अ), तारीख 22 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधन किया गया ।